

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), पाली
पीठासीन अधिकारी:- श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या:- 15/2018

प्रार्थी:-

बनाम

अप्रार्थीगण:-

1. श्रीमती चौथीकँवर पत्नि जयसिंह, जाति राजपूत,
2. दानजी भाई पुत्र भाणजी भाई जाति पटेल, निवासीगण बिरोलिया, तहसील बाली जिला पाली (राज.)

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाली
2. भीमा पुत्र हीरा मेघवाल, निवासी बिरोलिया
3. फलकी पत्नि थानाराम सरगरा
4. चुनी पत्नि मांगीलाल मेघवाल, जाति मेघवाल निवासी बिरोलिया, तहसील बाली, जिला पाली
5. डुंगरसिंह पुत्र हंनवतसिंह, जाति राजपूत, निवासी निवासी बिरोलिया, तहसील बाली, जिला पाली
6. स्वर्गीय राजुसिंह व भँवरकँवर पत्नि राजुसिंह के कायम मुकाम वारिसान्
6/1. स्वर्गीय अमरसिंह पुत्र राजुसिंह के कायम मुकाम
6/1/1. स्वर्गीय अचलसिंह पुत्र स्वर्गीय अमरसिंह के कायम मुकाम
6/1/1/1. तेजपालसिंह पुत्र अचलसिंह
6/1/1/2. तनेसिंह पुत्र अचलसिंह
6/1/1/3. गोविन्दसिंह पुत्र अचलसिंह
6/1/1/4. डिम्पलकँवर पुत्री अचलसिंह
6/1/1/5. हर्षकँवर पत्नि अचलसिंह
6/1/2. रणजीतसिंह पुत्र अमरसिंह
6/1/3. स्वर्गीय महावीरसिंह पुत्र अमरसिंह(लाओलाद फौत)
6/1/4. कैलाशकँवर पुत्री अमरसिंह
6/1/5. हेमाकँवर पुत्री अमरसिंह
6/1/6. गुलाबकँवर पत्नि अमरसिंह
6/2. हनमंतसिंह पुत्र राजुसिंह के कायम मुकाम वारिसान्
6/2/1. स्वर्गीय प्रतापसिंह पुत्र हनमंतसिंह के कायम मुकाम वारिसान्
6/2/1/1 शिशुपालसिंह पुत्र स्वर्गीय प्रतापसिंह
6/2/1/2 रेखा कँवर पुत्री स्वर्गीय प्रतापसिंह
6/2/1/2 शोभा कँवर पुत्री स्वर्गीय प्रतापसिंह
6/2/1/3 गुडीया कँवर पुत्री स्वर्गीय प्रतापसिंह
6/2/1/4 सम्पतकँवर पत्नि स्वर्गीय



श्री राधेश्याम
जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

प्रतापसिंह

- 6/2/2. डुंगरसिंह पुत्र हनमंतसिंह
 6/2/3 स्वर्गीय शैतानसिंह पुत्र हनमंतसिंह
 के कायम मुकाम वारिसान्
 6/2/3/1.अनीलसिंह पुत्र शैतानसिंह
 6/2/3/2.योगेन्द्रसिंह पुत्र शैतानसिंह
 6/2/3/3.असन्न कँवर पुत्री शैतानसिंह
 6/2/4. मेमाकँवर पुत्री हनमंतसिंह

उपस्थिति:-

1. श्री मोहम्मद शरीफ काजी अभिभाषक अपीलान्टस् की ओर से
2. श्री सुरेन्द्र सिंह लाबाना, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोजेण्ट संख्या 1 की ओर से

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

-:निर्णय:-

दिनांक 24/3/2022

वकील अपीलान्ट के द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत नामान्तरण संख्या 53 दिनांक 15.03.1997 के विरुद्ध प्रस्तुत की। अपील अपीलान्ट म्याद बाहर होने से धारा 05 परिसीमा अधिनियम एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश होने पर अपील अपीलान्ट सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोजेण्ट जरिये सम्मन तलब किये गये। उक्त अपीलाधिन म्यूटेशन के संबध मे पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2002 आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई थी। इस आदेश के विरुद्ध रेस्पोजेण्ट डुंगरसिंह द्वारा प्रतिरिक्त संभागिय आयुक्त जोधपुर में अपील संख्या 63/2002 पेश की तथा स्वयं के प्रतिरिक्त पक्ष बताया डुंगरसिंह की अपील दिनांक 14.05.2013 को स्वीकार की गई तथा मुकदमा इस न्यायालय को सुनने हेतु पुनः प्रतिपेधित किया तथा अपर न्यायालय के निर्देशों की पालना में अपील पुनः दर्ज की गई व रेस्पोजेण्ट को पक्षकार बनाकर नोटीस आवश्यक पक्षकारान् को जारी किये गये। व अपील बाद तामील के बहस हेतु मुकदमा की गई।



पत्रावली का अवलोकन किया एवं दोनो पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने अपील में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया की अपीलान्ट संख्या 01 ने जरिये रजिस्टर्ड बैचाण ग्राम बिरोलिया की सीमा में स्थित खसरा संख्या 131 रकबा 1-17 किस्म बारानी की भूमि खातेदार श्री खेताभाई पुत्र भाणजी भाई जाति पटेल, निवासी बिरोलिया, तहसील बाली से खरीद की थी। जो जमीन उक्त विक्रेता व दाना भाई द्वारा पूर्व जागीरदार श्री राजुसिंह की पत्नि भँवर कँवर से दिनांक 03.03.1966 को खरीद की गई थी। बाद खरीद के खेता भाई व दानजी भाई के नामांतरण संख्या 60 दिनांक 06.03.1968 को स्वीकृत किया गया। बाद स्वीकृती के पक्षकारान् के नाम खातेदारी में दर्ज रहा। चौथीकँवर द्वारा भूमि खेताभाई से खरीद की गई व बाद खरीद के चौथी बाई व दाना भाई के नाम दर्ज रहा जो लगातार सन् 1997 तक रहा। तथा उक्त भूमि के तत्कालीन खसरा नम्बर पुराना 97 थे। श्रीमान उपखण्ड अधिकारी बाली के न्यायालय में उक्त जागीरदारा

अति जिला न्यायाधीश (सीलिंग)
 पाली (राज)

अपील अधिकारी पाली के निर्णय की पालना में सिलिंग प्रभावित भूमि जो जागीरदार की अन्य भूमि थी उस भूमि में ऑफशन दिया जाकर भूमि को राजसात की जानी चाहीये थी। परन्तु अपीलाधिन म्यूटेशन पारित कर अपीलान्ट की भूमि को सिवाय चक दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। चूकिं जब पुराने खसरा संख्या 97 की भूमि जिसके नये खसरा नम्बर 125 व 131 बने इस भूमि को सिवाय चक दर्ज करने का अधिकार नहीं था व इस संबध में अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में अपना आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था परन्तु इस पर तब्वजो नहीं देकर दिनांक 10.03.1997 को अपीलान्ट की भूमि सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। राजस्व अपील अधिकारी पाली द्वारा दिनांक 30.05.2000 को आदेश पारित कर अपीलान्ट को सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के निर्देश पारित किये गये थे व इसकी पालना में ही अपीलाधिन म्यूटेशन को चैलेन्ज किया है। राजस्व अपील अधिकारी पाली का आदेश दिनांक 30.05.2000 में उपखण्ड अधिकारी बाली का आदेश दिनांक 10.03.1997 मर्ज हो चुका है। इस कारण राजस्व अपील अधिकारी पाली के आदेश दिनांक 14.11.1996 अपील संख्या 38/95 का सहारा लेकर आपत्ती करने का अधिकार रेस्पोंडेन्ट को नहीं है।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट के खातेदारी अधिकार सन् 1966 से है व 1997 तक लगातार जमाबंदी में नाम रहा है म्यूटेशन संख्या 53 क्षेत्राधिकार विहिन स्वीकृत किया गया है तथा अपीलान्ट के पंजियन बैचाण के अविधिमान्य नहीं होने के बाबत् कोई आदेश पारित नहीं था। उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा अपीलान्ट की भूमि अपीलान्ट को बिना सुने सिवाय चक दर्ज करने बाबत् आदेश पारित किया गया था, इस तरीके से पारित म्यूटेशन प्रारंभ से ही शुन्य है व अपीलान्ट को जानकारी होने पर उक्त अपील प्रस्तुत की जाये। राजस्व अपील अधिकारी पाली द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 30.05.2000 द्वारा अपीलान्ट को कार्यवाही करने के लिये निर्देश पारित किये गये थे इस कारण अपीलान्ट द्वारा जानकारी से जो अपील पेश की गई है यह अन्दर मयाद में अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया की म्यूटेशन संख्या 53 अपीलान्ट को बिना सुनवाई के स्वीकृत किया गया है इस पर मयाद का प्रश्न आडे नहीं आता है तथा पारित म्यूटेशन प्रारंभ से ही शुन्य व अवैध है व जानकारी से जो अपील पेश की गई है यह अन्दर मयाद है। अपीलान्ट द्वारा जानबुझ कर लापरवाही नहीं बरती है। इस कारण से अपील को अन्दर मयाद मानी जावे। अपीलान्ट द्वारा हमारे समक्ष आर.आर.टी. 2002 वाल्युम एक पेज संख्या 257, आर.आर.डी. 19994 पेज संख्या 606, आर.आर.डी 1989 पेज संख्या 45, आर. आर. टी. 2011 (2) पेज संख्या 829 के दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस करते हुये यह निवेदन किया कि अपील को जानकारी से युक्तियुक्त समय में प्रस्तुत कर दिया गया है तथा म्यूटेशन संख्या 53 जो अपीलान्ट की खातेदारी भूमि का स्वीकृत कर सिवाय चक दर्ज की है, इस म्यूटेशन को खारिज कर अपीलान्ट के नाम पुनः म्यूटेशन दर्ज किया जावें।

सरकारी पैरोकार ने अपील बहस में जाहिर किया की उक्त भूमि सिलिंग प्रकरण में अधिग्रहण योग्य होने से तहसीलदार बाली ने भूमि अधिग्रहण कर सिवाय चक दर्ज की है। अतः पारित नामांतरण को खारिज नहीं किया जा सकता है।

जिला कलेक्टर (सिलिंग)
पाली (राज)




रेस्पोजेन्ट के अधिवक्ता अनुपस्थित है व उनकी और से कोई उपस्थित नहीं आया है।

हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी, रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 03.03.1966 के जरिये खेताभाई व दानाभाई द्वारा जागीरदार की पत्नी भँवरकँवर से भूमि खरीद की गई तथा इन दोनों के नाम दिनांक 06.03.1968 को म्यूटेशन संख्या 60 स्वीकृत होकर दर्ज हुआ तथा जमाबंदी में नाम दर्ज है तथा उपखण्ड अधिकारी बाली के सिलिंग प्रकरण संख्या 258/70 का निर्णय दिनांक 14.12.1978 को हुआ, इस निर्णय के द्वारा पुराने खसरा संख्या 97 की भूमि खेताभाई व दानाभाई को बैचाण हस्तांतरण की इस बैचाण को विधिमान्य माना गया तथा उपखण्ड अधिकारी बाली के उक्त आदेश को कही भी चैलेन्ज किया हुआ नहीं है तथा उक्त आदेश अंतिम हो चुका है। तथा भूमि बैचाण होना व सिलिंग प्रकरण संख्या 258/70 का निर्णय होकर उक्त निर्णय निर्विवाद होना पत्रावली से स्पष्ट है तथा खसरा संख्या 97 के नये खसरा संख्या 125 व 131 व अन्य खसरा संख्या बने हैं जो भी निर्विवादित है तथा खसरा संख्या 97 के नये खसरा संख्या 125, 126, 131, 134 कायम हुये जो खसरा मिलान से स्पष्ट है। उक्त अपील खसरा संख्या 125 व 131 के संबन्ध में है। इस कारण से खातेदारी अधिकार अपीलान्त के निर्विवाद है यह स्पष्ट है। तथा खसरा संख्या 97 सिलिंग प्रकरण में प्रभावित भूमि होने व खसरा संख्या 97 के दानाभाई व खेताभाई पंजियन बैचाण विधिमान्य माने गये जिसकी कोई अपील भी नहीं हुई है। इस कारण से अपीलान्त का नाम खातेदारी से हटाकर म्यूटेशन स्वीकृत करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं था। जागीरदार राजसिंह व उसकी पत्नी भँवरकँवर की जो भूमि बाबत सिलिंग प्रकरण से 258/70 व 60/70 के संबन्ध में अपील राजस्व अपील अधिकारी पाली में की गई व इस अपील के दिनांक 14.11.1996 को अपील संख्या 258/95 की पालना में भूमि राजसात की जानी थी तो उक्त भूमि जागीरदार की भूमि में से ही प्राप्त कर सिवायचक दर्ज की जानी चाहीये थी। इस कारण से जो म्यूटेशन संख्या 53 पारित किया गया है यह विधि अनुसार नहीं है तथा अपीलान्त की भूमि के जागीरदार राजसिंह के वारिस पिंडित पक्ष नहीं है तथा जागीरदार के वारिस होने के नाते विधिमान्य बैचाण होने आपत्ती करने का व ऑफशन में अपीलान्त की भूमि सरेण्डर करने का अधिकार जागीरदार राजसिंह के वारिसों को नहीं था तथा तहसीलदार बाली को भी इस बात की बखुबी जानकारी थी की अपीलाधिन भूमि सिवायचक दर्ज किये जाने योग्य नहीं थी परन्तु सिवायचक दर्ज करने का म्यूटेशन संख्या 53 पारित कर दिया गया। हमारे द्वारा अपीलान्त अधिवक्ता द्वारा म्याद के संबन्ध में प्रस्तुत नजीरो का अवलोकन किया गया। हमारा मत है कि जो भूमि दानाभाई व खेताभाई की व अपीलान्त की थी। इनको बिना सुनवाई का अवसर दिये, बिना नोटीस दिये, म्यूटेशन संख्या 53 के जरिये नाम हटा दिया गया। उक्त म्यूटेशन की अपीलान्त को जानकारी होने पर उक्त अपील पेश की है जानकारी के बाद अपीलान्त की और से उपखण्ड अधिकारी बाली, राजस्व अपील अधिकारी पाली के यहाँ कार्यवाही भी की है। इस कारण से उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम प्रस्तुत अपील को अन्दर अवधी में जानकारी से प्रस्तुत होना मानकर अपील को मेरीट पर निस्तारित करते हैं।


राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 30ई की उपधारा 06 के अन्तर्गत अपीलान्त स्वतन्त्र खातेदार कृषक थे, उक्त भूमि बाबत भूतपूर्व जागीरदार राजसिंह व उसकी पत्नी भँवरकँवर की भूमि नहीं रही व पंजीबद्ध विक्रयपत्र भी विधिमान्य रहा है।

जिला मजिस्ट्रेट (सिलिंग)
पाली (राज)

राजस्व अपील अधिकारी पाली के निर्णय दिनांक 14.11.1996 की पालना में तहसीलदार बाली को 06 स्टैंडर्ड एकड़ भूमि जागीरदार की भूमि में से आवाप्त किया जाना चाहीये था व विधि विरुद्ध तरीके से अपीलान्ट की भूमि को आवाप्त कर सिवाय चक दर्ज करने का म्यूटेशन स्वीकृत किया गया, इस पारित म्यूटेशन को हम अविधिमान्य होना निर्णित करते हैं। तथा अपीलान्ट के नाम पुनः म्यूटेशन स्वीकृत किये जाने बाबत तहसीलदार बाली को प्रतिप्रेषित कर यह निर्देश पारित करते हैं कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर नये सिरे से म्यूटेशन आदेश पारित करे। म्यूटेशन संख्या 53 दिनांक 15.03.1997 अपास्त किया जाता है। राजस्व अपील अधिकारी पाली के निर्णय दिनांक 14.11.1996 की पालना में जागीरदार राजसिंह व उसकी पत्नि भँवरकँवर की भूमि में से भूमि आवाप्त करने हेतु स्वतंत्र है।



अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार बाली को इन निर्देशों के साथ पुनप्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट की भूमि सिलिंग प्रभावित भूमि नहीं रहने से म्यूटेशन संख्या 53 दिनांक 15.03.1997 को अपास्त किया जाता है। अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देकर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। राजस्व अपील अधिकारी पाली के निर्णय दिनांक 14.11.1996 की पालना में तहसीलदार बाली जागीरदार राजसिंह व उसकी पत्नि भँवरकँवर की भाररहित भूमि में से सिलिंग प्रकरण में आवाप्त करने के लिये तहसीलदार बाली स्वतंत्र है। उक्त आदेश की प्रति तहसीलदार बाली को पालनार्थ हेतु भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

अति  कलक्टर (सिलिंग)
पाली (राज)

यह आदेश आज दिनांक 24/3/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति  कलक्टर (सिलिंग)
पाली (राज)

बिरोलिया की कृषिभूमि बाबत् सिलिंग केस संख्या 258/70 इसके पति श्री राजुसिंह के प्रकरण संख्या 60/70 की संयुक्त रूप से तारीख 14.12.1978 को निर्णित किया, जिसमें उक्त खातेदारी बैचाण को वैध मान्य किया। राज्य सरकार की अपील की गई जो अस्वीकृत हुई तथा राजस्व अपील अधिकारी पाली के न्यायालय में अपील संख्या 38/95 दिनांक 14.11.1996 को निर्णित की गई। जिसमें 06 स्टेण्डर्ड एकड भूमि राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहण करने का आदेश पारित किया गया। परन्तु उपखण्ड अधिकारी बाली के निर्णय में श्रीमति भँवर कँवर द्वारा विक्रय की गई भूमि के बैचाण को अमान्य नहीं किया गया। जिससे उक्त पुराने खसरा संख्या 97 की खातेदारी क्रेतागण के पक्ष में यथावत रही। तथा उपखण्ड अधिकारी बाली के सिलिंग प्रकरण संख्या 258/70 के निर्णय के पेज संख्या 4 पर न्यायालय की ओपीनियन दर्ज शुदा है। उक्त निर्णय द्वारा दिनांक 03.03.1966 का बैचाण विधि मान्य माना गया। इसके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा कही पर भी अपील नहीं की गई। तथा उक्त आदेश आज भी प्रभाव में है तथा विधि मान्य आदेश होने के कारण अपीलान्त के खातेदारी अधिकार हैं तथा अनचैलेन्ज हैं।

रेस्पोजेन्ट तहसीलदार बाली ने नये खसरा संख्या 131 व 125 की भूमि बाबत् नियमानुसार जाँच किये बगैर दिनांक 15.03.1997 को म्यूटेशन संख्या 53 से सिवायचक खाते में दर्ज कर लिया। उक्त सिवायचक भूमि का आवंटन दिनांक 25.03.1997 को रेस्पोजेन्ट संख्या 02 के पक्ष में क्षेत्राधिकार शुन्य कर दिया गया। चूकिं उक्त खातेदारी भूमि अपीलान्त के खातेदारी की थी जो धारा 30 ई की उप धारा (6) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के अन्तर्गत अधिग्रहण योग्य भूमि नहीं थी। राजस्व अपील अधिकारी पाली के निर्णय अपील संख्या 38/95 में दिनांक 14.11.1996 को पारित किया गया था, राजस्व अपील अधिकारी पाली के निर्णय की पालना में उपखण्ड अधिकारी बाली को जागीरदार राजुसिंह व इसकी पत्नि भँवरकँवर की भूमि आवाप्त कर राजसात करनी थी व इसकी पालना के लिये तहसीलदार को तहरीर जारी की। तहसीलदार द्वारा नामांतरण संख्या 53 के जरिये अपीलान्त की भूमि सिवाय चक की, जिसका विरोध आवेदन उपखण्ड अधिकारी बाली में पेश किया जो दिनांक 10.03.1997 को खारिज किया। इसमें निर्देशित 06 स्टेण्डर्ड एकड भूमि का अधिग्रहण विधि विरुद्ध अपीलान्त की भूमि का करने के विरोध में राजस्व अपील अधिकारी समक्ष अपील अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 30.05.2000 को समक्ष न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु निर्णय पारित किया। इस कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है। चूकिं अपीलान्त की खातेदारी की भूमि हटाकर नामांतरण सिवाय चक रेस्पोजेन्ट संख्या 01 द्वारा क्षेत्राधिकार विहीन व शुन्य स्वीकृत किया गया। अपीलान्त की भूमि सिलिंग प्रभावित भूमि नहीं थी व हक अधिकार कब्जा विवाद रहित था। स्वीकृत म्यूटेशन संख्या 53 शुन्य था। इसलिये अपील में हुई देरी कन्डोन करने योग्य है। अतः अपीलान्त की अपील स्वीकार की जाकर उक्त नामांतरण खारिज करने योग्य है। अपीलान्त द्वारा अपनी बहस में यह भी निवेदन किया कि सिलिंग भूमि बाबत् प्रकरण संख्या 258/70 में बैचाण विधिमान्य होने के बाद जागीरदार का कोई हक व अधिकार नहीं था तथा डुंगरसिंह द्वारा अतिरिक्त संभागिय आयुक्त में जो अपील की गई यह विधि विरुद्ध है। राजस्व अपील अधिकारी पाली के यहाँ अपील संख्या 38/95 पेश हुई व इसका आदेश दिनांक 14.11.1996 को हुआ, इस निर्णय से भी अपीलान्त की भूमि सिलिंग प्रभावित नहीं रही है, क्योंकि उपखण्ड अधिकारी बाली का दिनांक 14.12.1978 के निर्णय से अपीलान्त की भूमि सिलिंग प्रभावित नहीं है। उपखण्ड अधिकारी बाली व राजस्व



जिला कलेक्टर (सिलिंग)
पाली (राज)